

संसदीय समाचार

भाग - 2

सं.56545]

बृहस्पतिवार, 6 अप्रैल, 2017

सं.56545

पटल कार्यालय

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें

उपसभापति ने आज (6-4-2017) सभा में निम्नलिखित घोषणा की:-

"मुझे सदस्यों को सूचित करना है कि कार्य मंत्रणा समिति ने 6 अप्रैल, 2017 को हुई अपनी बैठक में सरकारी विधान तथा अन्य कार्यों के लिए निम्नानुसार समय आबंटित किया है:-

कार्य

आबंटित समय

1. लोक सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात्, निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारण:-

(क)	कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2017.	दो घंटे
(ख)	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017.	दो घंटे
(ग)	संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017.	चार घंटे
(घ)	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017.	(इन पर साथ-साथ चर्चा की जाएगी)
(ङ)	कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016.	एक घंटा
(च)	मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016.	तीन घंटे

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पी.एच.डी. उपाधियां प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016 को प्रकाशित करने करने वाली अधिसूचना सं.फा.1-2/2009 (ईसी/पीएस)V(I) खंड 2, दिनांक 5 जुलाई, 2016 के बातिलीकरण का प्रस्ताव।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पी.एच.डी. उपाधियां प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016 को प्रकाशित करने करने वाली अधिसूचना सं.फा.1-2/2009 (ईसी/पीएस)V(I) खंड 2, दिनांक 5 जुलाई, 2016 के आशोधन का प्रस्ताव।

दो घंटे
(इन पर साथ-साथ चर्चा की जाएगी)"

शमशेर के. शरीफ,
महासचिव।